

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्धि)डीएलबी/24/621

दिनांक: 10/01/2025

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका मालपुरा की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले नवीन सीमा क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार से हैं:-

क्र.सं.	जिला	नगर पालिका का नाम	नगर पालिका में शामिल ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या
01.	टोंक	मालपुरा	<b>ग्राम पंचायत बृजलालनगर का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र</b> ग्राम पंचायत राजपुरा का राजस्व ग्राम हाथगी का सीमा क्षेत्र, ग्राम पंचायत सिन्धोलिया का राजस्व ग्राम दौराई (मालियो का) नायको की ढाणी, बैरवों की दौराई का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत रीण्डल्या बुजुर्ग का राजस्व ग्राम धनोता, कल्याणपुरा का सीमा क्षेत्र, ग्राम पंचायत टोरडी का राजस्व ग्राम अम्बापुरा मय ढाणियां (टोरडी स्टेशन गुवालों की ढाणी) का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत डूंगरीकला का राजस्व ग्राम अजमेरों की ढाणी, जाजमों की ढाणी का क्षेत्र ग्राम चान्दसेन का राजस्व ग्राम सुईवालों की ढाणी, नागौरियों की ढाणी, अविकानगर का क्षेत्र ग्राम पंचायत देशमा का राजस्व ग्राम पीनणी, लक्ष्मीपुरा, श्योपुर का सम्पूर्ण क्षेत्र

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

( कुमार पाल गौतम )

आयुक्त एवं शासन सचिव